प्राथमिक कृषि सहकारी समिति
के उप नियम
नाम, पता तथा कार्य क्षेत्र

	अस्तित्व में	प्रस्तावित
1.	इस समिति को प्राथमिक कृषि सहकारी समिति लि० (सीमित) कहा जाएगा और इसका हवाला उप-नियमों में समिति के तौर पर दिया जाएगा ।	इस समिति को प्राथमिक कृषि सहकारी समिति लि० (सीमित) कहा जाएगा और इसका हवाला उप-नियमों में समिति के तौर पर दिया जाएगा ।
2.	इस समिति का रजिस्टर्ड पता.....गांव..... डा0.....तहसील.....जिला.....होगा ।	इस समिति का रजिस्टर्ड पता.....गांव..... डा0.....तहसील.....जिला.....होगा ।
3.	इस समिति का कार्यक्षेत्र.....गावों का होगा ।	इस समिति का कार्यक्षेत्र.....गावों का होगा ।
4.	**उद्देश्य** इस समिति का मुख्य उद्देश्य किसानों जिस में छेटे और सीमांत किसान सम्मिलित है ग्रामीण कारीगरों, कृषि मजदूरों को ऋण विपणन व दूसरी सेवाएं देकर सहकारी सिद्धातों के अनुसार उनके आर्थिक हितों को बढावा देना है इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समिति नीचे लिखे कार्य करेगी:- क) अपने सदस्यों को उत्पादक उद्देश्यों के लिए अल्प,मध्यम ओर लम्बी अवधि के लिये कर्जे देना; ख) खेती बाड़ी के लिए आवश्यक वस्तुंए जैसे खाद बीज कीटनाशक औषधियों इत्यादि कृषि यन्त्र व मशीनरी, पशुचारा, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए कच्चा-माल व अन्य सामग्री देना : ग) अपने सदस्यों की कृषि पैदावार और औद्योगिक पदार्थो के विपणन का प्रंबध करना ।	**उद्देश्य** इस समिति का मुख्य उद्देश्य किसानों जिस में छेटे और सीमात किसान सम्मिलित है ग्रामीण कारीगरों, कृषि मजदूरों को ऋण विपणन व दूसरी सेवाएं देकर सहकारी सिद्धातों के अनुसार उनके आर्थिक हितों को बढावा देना है इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समिति नीचे लिखे कार्य करेगी:- क) अपने सदस्यों को उत्पादक उद्देश्यों के लिए अल्प,मध्यम ओर लम्बी अवधि के लिये कर्जे देना; ख) खेती बाड़ी के लिए आवश्यक वस्तुंए जैसे खाद बीज कीटनाशक औषधियों इत्यादि कृषि यन्त्र व मशीनरी, पशुचारा, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए कच्चा-माल व अन्य सामग्री देना : ग) अपने सदस्यों की कृषि पैदावार और औद्योगिक पदार्थो के विपणन का प्रंबध करना ।

	घ) अपने सदस्यों की कृषि पैदावार की क्रमोन्नति (प्रोसैसिंग) तथा कोटिकरण (ग्रेडिंग) का प्रबन्ध करना;	घ) अपने सदस्यों की कृषि पैदावार की क्रमोन्नति (प्रोसैसिंग) तथा कोटिकरण (ग्रेडिंग) का प्रबन्ध करना;
	ङ) अपने सदस्यों के लिए किराए पर कृषि सम्बंधी औजार तथा सेवाओ को उपलब्ध कराने का प्रबन्ध करना;	ङ) अपने सदस्यों के लिए किराए पर कृषि सम्बंधी औजार तथा सेवाओ को उपलब्ध कराने का प्रबन्ध करना;
	च) उपभोग में लाए जाने वाले पदार्थों की बिक्री का प्रबंध करना ।	च) उपभोग में लाए जाने वाले पदार्थों की बिक्री का प्रबंध करना ।
	छ) सदस्यों को बचत तथा अपनी सहायता स्वंय करने के लिए प्रोत्साहित करना ।	छ) सदस्यों को बचत तथा अपनी सहायता स्वंय करने के लिए प्रोत्साहित करना ।
	ज) अपने सदस्यों में सहकारी ज्ञान को फैलाने का प्रयास करना ।	ज) अपने सदस्यों में सहकारी ज्ञान को फैलाने का प्रयास करना ।
	झ) पैदावार के भंडारीकरण के लिए गोदाम तथा शीतागार (कोल्ड स्टोर) किराए पर लेना या स्वामित्व करना और वेयर-हाऊस (भण्डारगार) चलाना।	झ) पैदावार के भंडारीकरण के लिए गोदाम तथा शीतागार (कोल्ड स्टोर) किराए पर लेना या स्वामित्व करना और वेयर-हाऊस (भण्डारगार) चलाना।
	ण) कृषि उत्पादन के उपार्जन (प्रोक्योरमैंट) के लिए सरकार के प्रतिनिधि (एजैंट) के तौर पर कार्य करना और अपने सदस्यों की सुविधा के लिए कृषि सम्बंधी व औद्योगिक प्रसार सेवाएं उपलब्ध करना ।	ण) कृषि उत्पादन के उपार्जन (प्रोक्योरमैंट) के लिए सरकार के प्रतिनिधि (एजैंट) के तौर पर कार्य करना और अपने सदस्यों की सुविधा के लिए कृषि सम्बंधी व औद्योगिक प्रसार सेवाएं उपलब्ध करना ।
	त) उत्पादन की प्रतिभूति (सिक्योरिटी) पर सदस्यों को अग्रिम धन (Advance) प्रदान करना ।	त) उत्पादन की प्रतिभूति (सिक्योरिटी) पर सदस्यों को अग्रिम धन (Advance) प्रदान करना ।
	थ) अपने सदस्यों और गैर सदस्यों जिन में सहकारी व व्यापारिक बैंक, सार्वजनिक व्यवसाय तथा सरकार सम्मिलित हैं, से अमानतें व ऋण प्राप्त करना ।	थ) अपने सदस्यों और गैर सदस्यों जिन में सहकारी व व्यापारिक बैंक, सार्वजनिक व्यवसाय तथा सरकार सम्मिलित हैं, से अमानतें व ऋण प्राप्त करना ।
	द) कल्याणकारी गतिविधियों को हाथ में लेना, विशेषकर अपने कार्यक्षेत्र के बच्चों, नवयुवकों, वृद्धों व महिलाओं से सम्बन्धित ।	द) कल्याणकारी गतिविधियों को हाथ में लेना, विशेषकर अपने कार्यक्षेत्र के बच्चों, नवयुवकों, वृद्धों व महिलाओं से सम्बन्धित ।
	ध) प्राय: ऐसे दूसरे कार्य करना जो ऊपर लिखे उद्देश्यों में से किसी एक या सब की पूर्ति के लिए सहायक हों ।	ध) प्राय: ऐसे दूसरे कार्य करना जो ऊपर लिखे उद्देश्यों में से किसी एक या सब की पूर्ति के लिए सहायक हों ।
	नोट :- कृषि में यहां पशु-पालन, मुर्गी पालन, सुअर-पालन, भेड़, बकरियां पालन और दूसरे उद्योग, जो इससे सम्बन्धित हैं, सम्मिलित हैं ।	नोट :- कृषि में यहां पशु-पालन, मुर्गी पालन, सुअर-पालन, भेड़, बकरियां पालन और दूसरे उद्योग, जो इससे सम्बन्धित हैं, सम्मिलित हैं ।

5.	सदस्यता	सदस्यता
	(क) उप-नियम छः में दी गई शर्तों के अधीन, सरकार तथा कोई व्यक्ति इस समिति का सदस्य बनाए जाने के योग्य होगा, यदि वह :- 1) 18 वर्ष से अधिक आयु का तथा स्वस्थ मस्तिष्क का हो : 2) समिति के कार्यक्षेत्र का निवासी हो या कृषि भूमि का स्वामी हो 3) अच्छे चरित्र का हो और 4) ऐसे कार्य या सेवाएं न कर रहा हो, जो समिति अपने सदस्यों को उपलब्ध कराती है । ख) निम्नलिखित भी समिति के सदस्य बनने के पात्र होंगें :- I) इस प्रकार की अन्य सहकारी समितियां जो रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित की गई हों । II) केन्द्रीय व राज्य भंडारण निगम । किसी अन्य उप-नियम में कुछ भी होते हुये उन मर्चेंट, व्यापारी व आढतियों, जो कृषि उत्पाद के व्यवसाय में कार्यरत हो व समिति के साथ लेन-देन करते हों तथा समिति की अनुमोदित सूची में सम्मिलित हों, उनसे प्रवेश शुल्क लेकर समिति का नाममात्र (Nominal) सदस्य बनाया जा सकता है । इस तरह के सदस्यों को न ही वोट का अधिकार होगा और न ही समिति के प्रबंधन में भाग ले सकेंगें । इन सदस्यों को समिति द्वारा वितरित लाभांश अथवा बोनस का लाभ नहीं मिलेगा । ग) रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति से समिति किसी दूसरी संस्था को अपना नाम-मात्र व सहयोगी (Associate) सदस्य बना सकती है ।	(क) उप-नियम छः में दी गई शर्तों के अधीन, सरकार तथा कोई व्यक्ति इस समिति का सदस्य बनाए जाने के योग्य होगा, यदि वह :- 1) 18 वर्ष से अधिक आयु का तथा स्वस्थ मस्तिष्क का हो : 2) समिति के कार्यक्षेत्र का निवासी हो या कृषि भूमि का स्वामी हो 3) अच्छे चरित्र का हो और 4) ऐसे कार्य या सेवाएं न कर रहा हो, जो समिति अपने सदस्यों को उपलब्ध कराती है । ख) निम्नलिखित भी समिति के सदस्य बनने के पात्र होंगें :- I) इस प्रकार की अन्य सहकारी समितियां जो रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित की गई हों । II) केन्द्रीय व राज्य भंडारण निगम । किसी अन्य उप-नियम में कुछ भी होते हुये उन मर्चेंट, व्यापारी व आढतियों, जो कृषि उत्पाद के व्यवसाय में कार्यरत हो व समिति के साथ लेन-देन करते हों तथा समिति की अनुमोदित सूची में सम्मिलित हों, उनसे प्रवेश शुल्क लेकर समिति का नाममात्र (Nominal) सदस्य बनाया जा सकता है । इस तरह के सदस्यों को न ही वोट का अधिकार होगा और न ही समिति के प्रबंधन में भाग ले सकेंगें । इन सदस्यों को समिति द्वारा वितरित लाभांश अथवा बोनस का लाभ नहीं मिलेगा । ग) हटा दिया जाये ।

6.	पूर्ववर्ती उप-नियम के होते हुए भी समिति एक परिवार में से केवल एक व्यक्ति को सदस्यता देगी । यहां परिवार से अभिप्राय पति-पत्नी, आश्रित माता-पिता तथा बच्चों से है ।	पूर्ववर्ती उप-नियम के होते हुए भी समिति एक परिवार में से केवल एक व्यक्ति को सदस्यता देगी । यहां परिवार से अभिप्राय पति-पत्नी, आश्रित माता-पिता तथा बच्चों से है ।
7.	कोई व्यक्ति इस समिति की सदस्यता प्राप्त करने योग्य नहीं होगा यदि :- 1) उसने दीवालिएपन के लिए प्रार्थना पत्र दिया हो, या 2) वह दीवालिया घोषित किया जा चुका हो, या 3) समिति का सदस्य बनने से पूर्व पिछले पांच वर्षों में किसी ऐसे अपराध के लिए दण्ड पा चुका हो, जिस में उस पर बेईमानी या अनैतिकता का दोष लगा हो ।	कोई व्यक्ति इस समिति की सदस्यता प्राप्त करने योग्य नहीं होगा यदि :- 1) उसने दीवालिएपन के लिए प्रार्थना पत्र दिया हो, या 2) वह दीवालिया घोषित किया जा चुका हो, या 3) समिति का सदस्य बनने से पूर्व पिछले पांच वर्षों में किसी ऐसे अपराध के लिए दण्ड पा चुका हो, जिस में उस पर बेईमानी या अनैतिकता का दोष लगा हो ।
8.	वह व्यक्ति जिसे सदस्यता देने से इन्कार कर दिया हो इन्कार की सूचना मिलने की तिथि के साठ दिन के अन्दर-2 प्रबंध समिति को अपील कर सकता है । यदि अगली बैठक में अपील नहीं रखी जाती या प्रबंध कमेटी द्वारा अपील निरस्त की जाती है तो इसकी अपील 60 दिनों के अन्दर सीधा रजिस्ट्रार को की जा सकती है । ऐसी अपील पर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां का निर्णय समिति तथा अपील कर्त्ता दोनों के लिए बाध्य होगा तथा निर्णय की लिखित सूचना प्रार्थी को दी जाएगी ।	वह व्यक्ति जिसे सदस्यता देने से इन्कार कर दिया हो इन्कार की सूचना मिलने की तिथि के साठ दिन के अन्दर-2 प्रबंध समिति को अपील कर सकता है । यदि अगली बैठक में अपील नहीं रखी जाती या प्रबंध कमेटी द्वारा अपील निरस्त की जाती है तो इसको अपील 60 दिनों के अन्दर सीधा रजिस्ट्रार को की जा सकती है । ऐसी अपील पर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां का निर्णय समिति तथा अपील कर्त्ता दोनों के लिए बाध्य होगा तथा निर्णय की लिखित सूचना प्रार्थी को दी जाएगी ।
9.	कोई व्यक्ति समिति का सदस्य नहीं बनेगा जब तक कि :- क) सदस्यता के लिए निश्चित फार्म में लिखा हुआ प्रार्थना पत्र प्रबन्धक द्वारा स्वीकृत न कर दिया गया हो व ख) उसने कम से कम एक हिस्से की राशि तथा प्रवेश शुल्क का 100 रूपया न दिया हो । नोट :- जिन व्यक्तियों ने पंजीकरण के मूल प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हों वे ऊपरलिखित शर्त (क) से मुक्त होंगें । कोई व्यक्ति जिसे सदस्य अपनी मृत्यु के बाद अपने हिस्सों और हितों का उतराधिकारी घोषित कर दे और वह सदस्य की मृत्यु के बाद प्रबंधक द्वारा सदस्य स्वीकार कर लिया जाए तो वह भी शर्त (क) से मुक्त होगा ।	कोई व्यक्ति समिति का सदस्य नहीं बनेगा जब तक कि :- क) सदस्यता के लिए निश्चित फार्म में लिखा हुआ प्रार्थना पत्र प्रबन्धक द्वारा स्वीकृत न कर दिया गया हो व ख) उसने कम से कम एक हिस्से की राशि तथा प्रवेश शुल्क का 500 रूपया न दिया हो । नोट :- जिन व्यक्तियों ने पंजीकरण के मूल प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हों वे ऊपरलिखित शर्त (क) से मुक्त होंगें । कोई व्यक्ति जिसे सदस्य अपनी मृत्यु के बाद अपने हिस्सों और हितों का उतराधिकारी घोषित कर दे और वह सदस्य की मृत्यु के बाद प्रबंधक द्वारा सदस्य स्वीकार कर लिया जाए तो वह भी शर्त (क) से मुक्त होगा ।

10.	समिति की आम बैठक की निश्चित तिथि से 30 दिन पूर्व कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बनाया जाएगा ।	समिति की आम बैठक की निश्चित तिथि से 30 दिन पूर्व कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बनाया जाएगा ।
11.	प्रत्येक सदस्य प्रवेश होने पर सदस्यों के रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर करेगा या अंगूठा लगाएगा ।	प्रत्येक सदस्य प्रवेश होने पर सदस्यों के रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर करेगा या अंगूठा लगाएगा ।
12.	1) समिति का प्रत्येक सदस्य एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करेगा जिसको/जिनको उस सदस्य की मृत्यु पर सदस्य द्वारा निश्चित हिस्से और ब्याज की राशि या हिस्से या हिस्से ब्याज की ऐसी राशियां जिन को जिस प्रकार सदस्य ने स्पष्ट किया होगा, इन उप-नियमों के अनुसार अदा अथवा हस्त परिवर्तित की जाएगी : 2) सदस्य ऐसी नामजदगी को जब चाहे रद्द कर सकता है या सुधार सकता है । 3) किसी सदस्य की ओर से नामजद किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या उस सदस्य के हिस्सों की संख्या से अधिक नहीं होगी । 4) जब समिति का कोई सदस्य एक से अधिक व्यक्तियों को नामजद करे तो वह जहाँ तक हो सके, प्रत्येक नामजद व्यक्ति को पूर्ण हिस्सों के रूप में तथा उन पर कमाए ब्याज की उस राशि को स्पष्ट करेगा जो कि उन को अदा होगी या हस्तपरिवर्तित होगी । 5) नामजदगी का उल्लेख समिति उस ढंग से अपने पास रखेगी जैसे कि रजिस्ट्रार समय-समय पर नियत करेंगें । 6) किसी नामजद व्यक्ति/व्यक्तियों को हिस्सों व ब्याज की अदा की जाने वाली या हस्तपरिवर्तित की जाने वाली राशि का निर्धारण सदस्य द्वारा उन हिस्सों को खरीदने के लिए वास्तविक रूप से भुगतान की गई राशि के आधार पर किया जाएगा ।	1) समिति का प्रत्येक सदस्य एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करेगा जिसको/जिनको उस सदस्य की मृत्यु पर सदस्य द्वारा निश्चित हिस्से और ब्याज की राशि या हिस्से या हिस्से ब्याज की ऐसी राशियां जिन को जिस प्रकार सदस्य ने स्पष्ट किया होगा, इन उप-नियमों के अनुसार अदा अथवा हस्त परिवर्तित की जाएगी : 2) सदस्य ऐसी नामजदगी को जब चाहे रद्द कर सकता है या सुधार सकता है । 3) किसी सदस्य की ओर से नामजद किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या उस सदस्य के हिस्सों की संख्या से अधिक नहीं होगी । 4) जब समिति का कोई सदस्य एक से अधिक व्यक्तियों को नामजद करे तो वह जहाँ तक हो सके, प्रत्येक नामजद व्यक्ति को पूर्ण हिस्सों के रूप में तथा उन पर कमाए ब्याज की उस राशि को स्पष्ट करेगा जो कि उन को अदा होगी या हस्तपरिवर्तित होगी । 5) नामजदगी का उल्लेख समिति उस ढंग से अपने पास रखेगी जैसे कि रजिस्ट्रार समय-समय पर नियत करेंगें । 6) किसी नामजद व्यक्ति/व्यक्तियों को हिस्सों व ब्याज की अदा की जाने वाली या हस्तपरिवर्तित की जाने वाली राशि का निर्धारण सदस्य द्वारा उन हिस्सों को खरीदने के लिए वास्तविक रूप से भुगतान की गई राशि के आधार पर किया जाएगा ।
13.	कोई सदस्य आम सभा द्वारा निम्नलिखित एक या एक से अधिक कारणों के आधार पर	कोई सदस्य आम सभा द्वारा निम्नलिखित एक या एक से अधिक कारणों के आधार पर

	समिति से निकाला जा सकता है :- 1) समिति के कार्यक्षेत्र से निवास स्थान तथा कृषि भूमि दोनों छोड़ जाने पर : 2) समूची हिस्सा पूंजी का हस्तांतरण करने पर । 3) कोई ऐसा अपराध करने पर जिसमें बेइमानी और अनैतिकता स्पष्ट हो । 4) दीवालिए के लिए प्रार्थना पत्र देने पर । 5) ऐसा काम करने पर जिसे आम सभा बेईमानी या इस समिति के हितों सम्मान और वर्णित उद्देश्यों के विरूद्ध करार दें । 6) समिति को झूठे वचन पत्र देने पर । 7) ऐसे कार्य करने पर जिससे समिति के सम्मान को आघात पहुंचे । 8) प्रबंध कमेटी अथवा आमसभा के सुझावों और प्रस्तावों की निरन्तर अवेहलना करने पर ।	समिति से निकाला जा सकता है :- 1) समिति के कार्यक्षेत्र से निवास स्थान तथा कृषि भूमि दोनों छोड़ जाने पर : 2) समूची हिस्सा पूंजी का हस्तांतरण करने पर । 3) कोई ऐसा अपराध करने पर जिसमें बेइमानी और अनैतिकता स्पष्ट हो । 4) दीवालिए के लिए प्रार्थना पत्र देने पर । 5) ऐसा काम करने पर जिसे आम सभा बेईमानी या इस समिति के हितों सम्मान और वर्णित उद्देश्यों के विरूद्ध करार दें । 6) समिति को झूठे वचन पत्र देने पर । 7) ऐसे कार्य करने पर जिससे समिति के सम्मान को आघात पहुंचे । 8) प्रबंध कमेटी अथवा आमसभा के सुझावों और प्रस्तावों की निरन्तर अवेहलना करने पर ।
14.	क) **कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से एक या अधिक अवस्थाओं में समिति का सदस्य नहीं रहेगा ।** 1) परलोक सिधारने पर । 2) कम से कम एक हिस्से का स्वामी न रहने पर । 3) समिति के प्रबंधक को तीन मास का नोटिस देकर अपना नाम कटवा लेने पर बशर्ते कि वह समिति का ऋणी न हो और न ही अदा न किए गए ऋण का साक्षी हो और उसके द्वारा खरीदा गया हिस्सा/हिस्से उप-नियम 19 व 20 के अनुसार बेचे गए हों 4) स्थाई तौर पर पागल होने पर । 5) दीवालिया घोषित होने पर और 6) समिति द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में स्वंय	क) **कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से एक या अधिक अवस्थाओं में समिति का सदस्य नहीं रहेगा ।** 1) परलोक सिधारने पर । 2) कम से कम एक हिस्से का स्वामी न रहने पर । 3) समिति के प्रबंधक को तीन मास का नोटिस देकर अपना नाम कटवा लेने पर बशर्ते कि वह समिति का ऋणी न हो और न ही अदा न किए गए ऋण का साक्षी हो और उसके द्वारा खरीदा गया हिस्सा/हिस्से उप-नियम 19 व 20 के अनुसार बेचे गए हों 4) स्थाई तौर पर पागल होने पर । 5) दीवालिया घोषित होने पर और 6) समिति द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में स्वंय

	करने लग जाने पर । ख) रजिस्ट्रार को उचित नोटिस देकर तथा लिखित आदेश पारित करके किसी व्यक्ति को सदस्यता से मुक्त हुआ घोषित करने का अधिकार होगा ।	करने लग जाने पर । ख) रजिस्ट्रार को उचित नोटिस देकर तथा लिखित आदेश पारित करके किसी व्यक्ति को सदस्यता से मुक्त हुआ घोषित करने का अधिकार होगा ।
15.	**उत्तरदायित्व** समिति के समाप्त हो जाने की अवस्था में इसकी सम्पत्तियों के घाटे में सदस्य का उत्तरदायित्व उस द्वारा खरीदे गए तथा पूर्णतया अदा किए गए हिस्सों की राशि के पांच गुणा तक सीमित होगा ।	**उत्तरदायित्व** समिति के समाप्त हो जाने की अवस्था में इसकी सम्पत्तियों के घाटे में सदस्य का उत्तरदायित्व उस द्वारा खरीदे गए तथा पूर्णतया अदा किए गए हिस्सों की राशि के पांच गुणा तक सीमित होगा ।
16.	**कोष** समिति का कोष निम्नलिखित ढंगों से इकट्ठा किया जा सकता है । 1) हिस्से जारी करके । 2) सदस्यों से अमानतें लेकर । 3) सहकारी व दूसरे बैंकों व संस्थाओं से ऋण लेकर । 4) दान और अनुदान लेकर । 5) प्रवेश शुल्क लेकर । 6) सरकार से हिस्से प्राप्त करके । 7) लाभ इकट्ठा करके तथा 8) रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति से किसी अन्य माध्यम से ।	**कोष** समिति का कोष निम्नलिखित ढंगों से इकट्ठा किया जा सकता है । 1) हिस्से जारी करके । 2) सदस्यों से अमानतें लेकर । 3) सहकारी व दूसरे बैंकों व संस्थाओं से ऋण लेकर । 4) दान और अनुदान लेकर । 5) प्रवेश शुल्क लेकर । 6) सरकार से हिस्से प्राप्त करके (समिति की कुल हिस्सा राशि का 25% तक) 7) लाभ इकट्ठा करके तथा 8) हटा दिया जाये ।
17.	समिति की पूंजी हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के अनुसार लगाई जा सकती है या जमा करवाई जा सकती है ।	समिति की पूंजी हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के अनुसार लगाई जा सकती है या जमा करवाई जा सकती है ।
18.	प्रत्येक हिस्से की कीमत 100/- रू0 होगी जो कि प्रवेश के समय एक मुश्त अदा की जाएगी ।	प्रत्येक हिस्से की कीमत 500/- रू0 होगी जो कि प्रवेश के समय एक मुश्त अदा की जाएगी ।

19.	कोई भी सदस्य इतने हिस्से नहीं खरीद सकता, जिन की नाम मात्र की कीमत 25,000/- रू0 या कुल इकट्ठी की गई हिस्सा पूंजी के पांचवें भाग, इन दोनो में से जो भी कम हो, से अधिक हो । विरासत या किसी दूसरी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति इस उप-नियम द्वारा निर्धारित की गई अधिकत्तम सीमा से अधिक हिस्सा पूंजी का स्वामी हो गया हो, तो प्रबंध कमेटी को उसके अधिक हिस्से बेचने या समिति की ओर से खरीदने का अधिकार होगा और इस प्रकार प्राप्त हुई राशि को समिति अपनी इच्छा अनुसार अपने पास रख लेगी ।	कोई भी सदस्य इतने हिस्से नहीं खरीद सकता, जिन की नाम मात्र की कीमत 25,000/- रू0 या कुल इकट्ठी की गई हिस्सा पूंजी के पांचवें भाग, इन दोनो में से जो भी कम हो, से अधिक हो । विरासत या किसी दूसरी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति इस उप-नियम द्वारा निर्धारित की गई अधिकत्तम सीमा से अधिक हिस्सा पूंजी का स्वामी हो गया हो, तो प्रबंध कमेटी को उसके अधिक हिस्से बेचने या समिति की ओर से खरीदने का अधिकार होगा और इस प्रकार प्राप्त हुई राशि को समिति अपनी इच्छा अनुसार अपने पास रख लेगी ।
20.	कोई सदस्य अपने हिस्से किसी दूसरे सदस्य को या किसी व्यक्ति को जो सदस्यता के लिए पूर्ण योग्यता रखता हो और जिस के लिए प्रबंध कमेटी ने मान्यता दे दी हो को हस्तांरित कर सकता है, हिस्से वापिस नहीं किए जा सकेंगें ।	कोई सदस्य अपने हिस्से किसी दूसरे सदस्य को या किसी व्यक्ति को जो सदस्यता के लिए पूर्ण योग्यता रखता हो और जिस के लिए प्रबंध कमेटी ने मान्यता दे दी हो को हस्तांरित कर सकता है, हिस्से वापिस नहीं किए जा सकेंगें ।
21.	इस प्रकार किसी सदस्य द्वारा हस्तांतरित किए गए हिस्सों की कीमत किसी भी अवस्था में उस राशि से अधिक नहीं होगी, जिसकी समिति को अदायगी की गई थी ।	इस प्रकार किसी सदस्य द्वारा हस्तांतरित किए गए हिस्सों की कीमत किसी भी अवस्था में उस राशि से अधिक नहीं होगी, जिसकी समिति को अदायगी की गई थी ।
22.	**अधिकत्तम ऋण सीमा** रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों के अनुसार समिति की अधिकत्तम ऋण सीमा प्रबंध कमेटी द्वारा निर्धारित की जाएगी ।	**अधिकत्तम ऋण सीमा** रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों के अनुसार समिति की अधिकत्तम ऋण सीमा प्रबंध कमेटी द्वारा निर्धारित की जाएगी ।
23.	**आम सभा** किसी भी तिथि पर समिति के सारे सदस्य इसकी आम सभा का गठन करेंगें ।	**आम सभा** किसी भी तिथि पर समिति के सारे सदस्य इसकी आम सभा का गठन करेंगें ।
24.	आम सभा की बैठक समय-समय पर और वर्ष में कम से कम एक बार हुआ करेगी । आम सभा की बैठक कमेटी के आदेशानुसार समिति के प्रबंधक बुलायेंगे । आम बैठक उस अवस्था में भी बुलाई जायेगी, यदि ऐसी बैठक के लिए समस्त सदस्यों में से कम से कम दस प्रतिशत सदस्यों के हस्ताक्षरों सहित मांग प्रबंधक को प्राप्त हुई हो । यदि उस मांग की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रबंधक आम बैठक बुलाने में असमर्थ रहे तो मांग	आम सभा की बैठक समय-समय पर और वर्ष में कम से कम एक बार हुआ करेगी । आम सभा की बैठक कमेटी के आदेशानुसार समिति के प्रबंधक बुलायेंगे । आम बैठक उस अवस्था में भी बुलाई जायेगी, यदि ऐसी बैठक के लिए समस्त सदस्यों में से कम से कम दस प्रतिशत सदस्यों के हस्ताक्षरों सहित मांग प्रबंधक को प्राप्त हुई हो । यदि उस मांग की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रबंधक आम बैठक बुलाने में असमर्थ रहे तो मांग

	करने लग जाने पर । ख) रजिस्ट्रार को उचित नोटिस देकर तथा लिखित आदेश पारित करके किसी व्यक्ति को सदस्यता से मुक्त हुआ घोषित करने का अधिकार होगा ।	करने लग जाने पर । ख) रजिस्ट्रार को उचित नोटिस देकर तथा लिखित आदेश पारित करके किसी व्यक्ति को सदस्यता से मुक्त हुआ घोषित करने का अधिकार होगा ।
15.	**उत्तरदायित्व** समिति के समाप्त हो जाने की अवस्था में इसकी सम्पत्तियों के घाटे में सदस्य का उत्तरदायित्व उस द्वारा खरीदे गए तथा पूर्णतया अदा किए गए हिस्सों की राशि के पांच गुणा तक सीमित होगा ।	**उत्तरदायित्व** समिति के समाप्त हो जाने की अवस्था में इसकी सम्पत्तियों के घाटे में सदस्य का उत्तरदायित्व उस द्वारा खरीदे गए तथा पूर्णतया अदा किए गए हिस्सों की राशि के पांच गुणा तक सीमित होगा ।
16.	**कोष** समिति का कोष निम्नलिखित ढंगों से इकट्ठा किया जा सकता है । 1) हिस्से जारी करके । 2) सदस्यों से अमानतें लेकर । 3) सहकारी व दूसरे बैंकों व संस्थाओं से ऋण लेकर । 4) दान और अनुदान लेकर । 5) प्रवेश शुल्क लेकर । 6) सरकार से हिस्से प्राप्त करके । 7) लाभ इकट्ठा करके तथा 8) रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति से किसी अन्य माध्यम से ।	**कोष** समिति का कोष निम्नलिखित ढंगों से इकट्ठा किया जा सकता है । 1) हिस्से जारी करके । 2) सदस्यों से अमानतें लेकर । 3) सहकारी व दूसरे बैंकों व संस्थाओं से ऋण लेकर । 4) दान और अनुदान लेकर । 5) प्रवेश शुल्क लेकर । 6) सरकार से हिस्से प्राप्त करके (समिति की कुल हिस्सा राशि का 25% तक) 7) लाभ इकट्ठा करके तथा 8) हटा दिया जाये ।
17.	समिति की पूंजी हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के अनुसार लगाई जा सकती है या जमा करवाई जा सकती है ।	समिति की पूंजी हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के अनुसार लगाई जा सकती है या जमा करवाई जा सकती है ।
18.	प्रत्येक हिस्से की कीमत 100/- रू0 होगी जो कि प्रवेश के समय एक मुश्त अदा की जाएगी ।	प्रत्येक हिस्से की कीमत 500/- रू0 होगी जो कि प्रवेश के समय एक मुश्त अदा की जाएगी ।

	पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति यह मामला रजिस्ट्रार को सौंप सकते हैं । यदि रजिस्ट्रार उचित समझे तो वह आम सभा की बैठक बुला सकते हैं । रजिस्ट्रार स्वंय भी जब चाहे बैठक बुला सकते हैं ।	पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति यह मामला रजिस्ट्रार को सौंप सकते हैं । यदि रजिस्ट्रार उचित समझे तो वह आम सभा की बैठक बुला सकते हैं । रजिस्ट्रार स्वंय भी जब चाहे बैठक बुला सकते हैं ।
25.	आम बैठक के लिए कम से कम 15 दिन का नोटिस जिसमें आम बैठक की कार्य सूची तिथि तथा समय का विशेष रूप से उल्लेख किया हो, सारे सदस्यों को दिया जायेगा । आम सभा का नोटिस निम्नलिखित साधनों द्वारा दिया जा सकता है । 1) संस्था के कार्यालय तथा समाप्ति के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित सभी गांवों के पंचायत घरों पर नोटिस लगाकर तथा 2) मुनादी करवाकर अथवा यू.पी.सी. डाक द्वारा	आम बैठक के लिए कम से कम 15 दिन का नोटिस जिसमें आम बैठक की कार्य सूची तिथि तथा समय का विशेष रूप से उल्लेख किया हो, सारे सदस्यों को दिया जायेगा । आम सभा का नोटिस निम्नलिखित साधनों द्वारा दिया जा सकता है । 1) संस्था के कार्यालय तथा समाप्ति के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित सभी गांवों के पंचायत घरों पर नोटिस लगाकर तथा 2) मुनादी करवाकर अथवा यू.पी.सी. डाक द्वारा
26.	आम सभा का कोरम कुल सदस्यों का एक तिहाई या 50 जो भी कम हो, होगा यदि आम बैठक के लिए नियत समय पर कोरम पूरा न हो और वह बैठक सदस्यों की मांग पर बुलाई गई हो, तो बैठक का प्रधान इस को स्थगित कर देगा और उस की मांग के आधार पर आम बैठक पुन: नहीं बुलाई जाएगी । यदि आम बैठक मांग के अतिरिक्त किसी और कारण से बुलाई गई हो, तो बैठक अगले सप्ताह उसी दिन उसी स्थान व उसी समय के लिए स्थगित हो जायेगी । आगामी बैठक में जितने सदस्य उपस्थित होंगे उनके साथ ही कार्य किया जा सकेगा ।	आम सभा का कोरम कुल सदस्यों का एक तिहाई या 50 जो भी कम हो, होगा यदि आम बैठक के लिए नियत समय पर कोरम पूरा न हो और वह बैठक सदस्यों की मांग पर बुलाई गई हो, तो बैठक का प्रधान इस को स्थगित कर देगा और उस की मांग के आधार पर आम बैठक पुन: नहीं बुलाई जाएगी । यदि आम बैठक मांग के अतिरिक्त किसी और कारण से बुलाई गई हो, तो बैठक अगले सप्ताह उसी दिन उसी स्थान व उसी समय के लिए स्थगित हो जायेगी । आगामी बैठक में जितने सदस्य उपस्थित होंगे उनके साथ ही कार्य किया जा सकेगा ।
27.	प्रधान या उनकी अनुपस्थिति में उप-प्रधान आम सभा की बैठक की प्रधानता करेगा । जब वे दोनों अनुपस्थित होंगें तो उपस्थित सदस्य अपने में से बैठक के लिए प्रधान चुन लेंगें ।	प्रधान या उनकी अनुपस्थिति में उप-प्रधान आम सभा की बैठक की प्रधानता करेगा । जब वे दोनों अनुपस्थित होंगें तो उपस्थित सदस्य अपने में से बैठक के लिए प्रधान चुन लेंगें ।
28.	आम सभा के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा । आम सभा की बैठक में परोक्षी (Proxy) द्वारा वोट देने की आज्ञा नहीं होगी । यदि उप-नियमों में कोई अन्य उल्लेख न हो, तो समस्त मामलों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होगा । मत बराबर होने की अवस्था में प्रधान को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।	आम सभा के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा । आम सभा की बैठक में परोक्षी (Proxy) द्वारा वोट देने की आज्ञा नहीं होगी । यदि उप-नियमों में कोई अन्य उल्लेख न हो, तो समस्त मामलों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होगा । मत बराबर होने की अवस्था में प्रधान को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

29.	उप-नियमों में और कोई विशेष उल्लेख न होने की अवस्था में संस्था के प्रबन्ध सम्बन्धी समस्त विषयों में निर्णय लेने का अन्तिम अधिकार आम सभा को होगा ।	उप-नियमों में और कोई विशेष उल्लेख न होने की अवस्था में संस्था के प्रबन्ध सम्बन्धी समस्त विषयों में निर्णय लेने का अन्तिम अधिकार आम सभा को होगा ।
30.	उपर्युक्त उप-नियमों में की गई कल्पना को आंच आए बिना आम सभा के कर्त्तव्य तथा अधिकार निम्नलिखित होंगें :- 1) प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का चुनाव करना, उनको हटाना तथा निलम्बित करना । 2) संस्था की वार्षिक रिपोर्ट, आडिटिड बैलेंस शीट, आय-व्यय के हिसाब-किताब, निरीक्षण पत्र व रजिस्ट्रार सहकारी समितियों से प्राप्त अन्य सूचना पर विचार करना । 3) पूर्ववर्ती वर्ष के कार्य की समीक्षा करना । 4) लाभ का बंटवारा । 5) समिति के हिसाब के आन्तरिक आडिट करने का प्रबंध करना । 6) व्यतिक्रम की राशि के साथ व्यतिक्रमियों की सूची सहित समिति के कार्य-कलापों की स्थिति की समीक्षा करना । 7) कर्मचारी जो समिति के पदाधिकारियों के नातेदार हैं, की सूची पर विचार करना 8) उप-नियमों में संशोधन करना और सदस्यों को निकालना व 9) उपविधियों के अनुसार किसी अन्य मामले पर विचार करना ।	उपर्युक्त उप-नियमों में की गई कल्पना को आंच आए बिना आम सभा के कर्त्तव्य तथा अधिकार निम्नलिखित होंगें :- 1) प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का चुनाव करना, उनको हटाना तथा निलम्बित करना । 2) संस्था की वार्षिक रिपोर्ट, आडिटिड बैलेंस शीट, आय-व्यय के हिसाब-किताब, निरीक्षण पत्र व रजिस्ट्रार सहकारी समितियों से प्राप्त अन्य सूचना पर विचार करना । 3) पूर्ववर्ती वर्ष के कार्य की समीक्षा करना । 4) लाभ का बंटवारा । 5) समिति के हिसाब के आन्तरिक आडिट करने का प्रबंध करना । 6) व्यतिक्रम की राशि के साथ व्यतिक्रमियों की सूची सहित समिति के कार्य-कलापों की स्थिति की समीक्षा करना । 7) कर्मचारी जो समिति के पदाधिकारियों के नातेदार हैं, की सूची पर विचार करना 8) उप-नियमों में संशोधन करना और सदस्यों को निकालना व 9) उपविधियों के अनुसार किसी अन्य मामले पर विचार करना ।
31.	आम बैठक की कार्यवाही एक कार्यवाही पुस्तक में लिखी जाएगी और उस पर प्रधान के हस्ताक्षर होंगे, परन्तु शर्त यह है कि कार्यवाही लिखने से पहले या बाद में कार्यवाही लिखने से पहले या बाद में कार्यवाही पुस्तक पर उपस्थित सदस्यों ने भी हस्ताक्षर या निशान अंगूठा लगाया हो ।	आम बैठक की कार्यवाही एक कार्यवाही पुस्तक में लिखी जाएगी और उस पर प्रधान के हस्ताक्षर होंगे, परन्तु शर्त यह है कि कार्यवाही लिखने से पहले या बाद में कार्यवाही लिखने से पहले या बाद में कार्यवाही पुस्तक पर उपस्थित सदस्यों ने भी हस्ताक्षर या निशान अंगूठा लगाया हो ।
32.	कोई भी सदस्य, जो अपने हिस्से या ऋण या कोई और राशि का समिति को देनदार होगा, मत देने का अधिकारी नहीं होगा ।	कोई भी सदस्य, जो अपने हिस्से या ऋण या कोई और राशि का समिति को देनदार होगा, मत देने का अधिकारी नहीं होगा ।

33.	आम सभा की वार्षिक बैठक वित्तीय वर्ष खत्म होने के चार मास के अन्दर होगी ।	आम सभा की वार्षिक बैठक वित्तीय वर्ष खत्म होने के चार मास के अन्दर होगी ।
34.	प्रबंध कमेटी प्रबंध कमेटी में निम्नलिखित सदस्य होंगें :- 1) सात चुने हुए सदस्य, जिनमें से पांच कृषक सदस्य और दो गैर-कृषक सदस्य, जिनमें कम से कम एक सदस्य अनूसूचित जाति तथा कम से कम एक महिला होगी । अधिकत्तम मत प्राप्त करने वाले उम्मीद्वार को विजयी घोषित किया जायेगा । 2) समिति की हिस्सा पूंजी में कम से कम एक लाख रूपये के योगदान की अवस्था में सरकार की ओर से नामजद अधिकत्तम दो सदस्य । 3) हैफेड का प्रतिनिधि 4) समिति को वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था का केवल एक नामजद सदस्य ।	प्रबंध कमेटी प्रबंध कमेटी में निम्नलिखित सदस्य होंगें :- 1) सात चुने हुए सदस्य, जिनमें से पांच कृषक सदस्य और दो गैर-कृषक सदस्य, जिनमें कम से कम एक सदस्य अनूसूचित जाति तथा कम से कम एक महिला होगी । अधिकत्तम मत प्राप्त करने वाले उम्मीद्वार को विजयी घोषित किया जायेगा । 2) हटा दिया जाये । 3) हटा दिया जाये । 4) समिति को वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था का केवल एक नामजद सदस्य ।
35.	उपर्युक्त उप-नियम 34 में अंकित शर्तों के होते हुए भी आंशिक रूप से बनी हुई प्रबंध कमेटी काम कर सकती है, यदि इसके सदस्यों की संख्या उपनियमों में लिखित कोरम को पूरा करती हो ।	उपर्युक्त उप-नियम 34 में अंकित शर्तों के होते हुए भी आंशिक रूप से बनी हुई प्रबंध कमेटी काम कर सकती है, यदि इसके सदस्यों की संख्या उपनियमों में लिखित कोरम को पूरा करती हो ।
36.	कोई भी व्यक्ति प्रबंध कमेटी का सदस्य चुने जाने के योग्य नहीं होगा, यदि 1) वह 21 वर्ष से कम आयु का हो । 2) वह किसी समिति या किसी वित्त दाता बैंक में वैतनिक कर्मचारी हो, या 3) वह ऐसे अपराध में दण्ड पा चुका हो, जिसमें बेईमानी या अनैतिकता स्पष्ट हो, या 4) उसने दीवालिएपन के लिए प्रार्थना पत्र दिया हो, या दीवालिया घोषित कर दिया गया हो, या	कोई भी व्यक्ति प्रबंध कमेटी का सदस्य चुने जाने के योग्य नहीं होगा, यदि 1) वह 21 वर्ष से कम आयु का हो । 2) वह किसी समिति या किसी वित्त दाता बैंक में वैतनिक कर्मचारी हो, या 3) वह ऐसे अपराध में दण्ड पा चुका हो, जिसमें बेईमानी या अनैतिकता स्पष्ट हो, या 4) उसने दीवालिएपन के लिए प्रार्थना पत्र दिया हो, या दीवालिया घोषित कर दिया गया हो, या

	5) वह पागल हो, या 6) वह समिति को देय राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा हो, या 7) वह समिति में किसी लाभ के पद पर आसीत हो या एवजाना लेता हो, या 8) उस के जिम्मे हिस्सों की किश्तों का भुगतान शेष हो, या 9) वह कोई ऐसा व्यापार करता हो जो समिति करती है या इस प्रकार के किसी ऐसे व्यापार में हिस्सेदारी हो, या 10) वह समिति के किसी वैतनिक कर्मचारी का सम्बंधी हो ।	5) वह पागल हो, या 6) वह समिति को देय राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा हो, या 7) वह समिति में किसी लाभ के पद पर आसीन हो या एवजाना लेता हो, या 8) उस के जिम्मे हिस्सों की किश्तों का भुगतान शेष हो, या 9) वह कोई ऐसा व्यापार करता हो जो समिति करती है या इस प्रकार के किसी ऐसे व्यापार में हिस्सेदारी हो, या 10) वह समिति के किसी वैतनिक कर्मचारी का सम्बंधी हो ।
37.	प्रबन्ध कमेटी निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रबन्ध कमेटी के किसी भी सदस्य को हटा सकती है यदि वह :- 1) समिति का हिस्सेदार न रहे, या 2) दीवालिएपन के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया हो या दीवालिया घोषित कर दिया गया हो, या 3) कभी भी किसी ऐसे अपराध में दण्डित हुआ हो जिस में उस पर बेईमानी या अनैतिकता का दोष लगा हो, या 4) संस्था के किसी लाभ के पद पर आसीन हो या कोई एवजाना ले रहा हो, या 5) त्याग पत्र दे दे तथा उसका त्याग पत्र प्रबंध कमेटी स्वीकार कर ले, या 6) प्रबंध कमेटी की निरन्तर तीन बैठकों में पूर्व अनुमति के बिना अनुपस्थित रहा हो, या 7) संस्था को देय राशि का भुगतान निश्चित तिथि से 6 मास से अधिक समय तक न करे, या 8) संस्था या वित्त बैंक का वैतनिक कर्मचारी हो, या	प्रबन्ध कमेटी निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रबन्ध कमेटी के किसी भी सदस्य को हटा सकती है यदि वह :- 1) समिति का हिस्सेदार न रहे, या 2) दीवालिएपन के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया हो या दीवालिया घोषित कर दिया गया हो, या 3) कभी भी किसी ऐसे अपराध में दण्डित हुआ हो जिस में उस पर बेईमानी या अनैतिकता का दोष लगा हो, या 4) संस्था के किसी लाभ के पद पर आसीन हो या कोई एवजाना ले रहा हो, या 5) त्याग पत्र दे दे तथा उसका त्याग पत्र प्रबंध कमेटी स्वीकार कर ले, या 6) प्रबंध कमेटी की निरन्तर तीन बैठकों में पूर्व अनुमति के बिना अनुपस्थित रहा हो, या 7) संस्था को देय राशि का भुगतान निश्चित तिथि से 6 मास से अधिक समय तक न करे, या 8) संस्था या वित्त बैंक का वैतनिक कर्मचारी हो, या

40.	प्रबंध कमेटी आम सभा के लिए रक्षित अधिकारों और कर्त्तव्यों के अतिरिक्त सभी अधिकार व कर्त्तव्य करेगी । प्रबंध कमेटी के विशेषत: नीचे लिखे अधिकार तथा कर्त्तव्य होगें :- 1) लाभ-हानि खाता और तुलनापत्र (बैलेंसशीट) तैयार करना और इसे वार्षिक आम बैठक में पेश करना । 2) हिसाब-किताब की जांच पड़ताल करना, आकस्मिक खर्चे की मन्जूरी देना तथा नियम रजिस्टरों की देखभाल करना । 3) निरीक्षण टिप्पणियों तथा लेखा टिप्पणियों पर विचार-विमर्श करना तथा आवश्यक कार्यवाही करना । 4) उप-नियमों के अनुसार प्रबंधक को आम बैठक बुलाने के लिए निर्देश देना । 5) आम बैठक या रजिस्ट्रार द्वारा लगाई पाबन्दियों के अनुसार ऋण व्यवस्था करना और सदस्यों को अधिकत्तम ऋण सीमा की स्वीकृति देना । 6) समय-समय पर रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति करना, निलम्बित करना, पदच्युत करना या दंड देना (केन्द्रीय सहकारी बैंक या हैफड द्वारा कोगन कैडर के अधीन नियुक्त किये गये कर्मचारियों के अतिरिक्त) और उन से समय-समय पर रजिस्ट्रार द्वारा निश्चित की गई उचित प्रतिभूतियां लेना । 7) इस बात की देखभाल करना कि ऋणों का प्रयोग उन्हीं स्वीकृत उद्देश्यों हेतु हुआ है जिनके लिये ऋण जारी किये गये थे । 8) किसी कमेटी सदस्य का त्यागपत्र स्वीकार करना या अस्वीकार करना तथा स्वीकृति की अवस्था में उसके स्थान पर आम सभा द्वारा सदस्य चुने जाने तक	प्रबंध कमेटी आम सभा के लिए रक्षित अधिकारों और कर्त्तव्यों के अतिरिक्त सभी अधिकार व कर्त्तव्य करेगी । प्रबंध कमेटी के विशेषत: नीचे लिखे अधिकार तथा कर्त्तव्य होगें :- 1) लाभ-हानि खाता और तुलनापत्र (बैलेंसशीट) तैयार करना और इसे वार्षिक आम बैठक में पेश करना । 2) हिसाब-किताब की जांच पड़ताल करना, आकस्मिक खर्चे की मन्जूरी देना तथा नियम रजिस्टरों की देखभाल करना । 3) निरीक्षण टिप्पणियों तथा लेखा टिप्पणियों पर विचार-विमर्श करना तथा आवश्यक कार्यवाही करना । 4) उप-नियमों के अनुसार प्रबंधक को आम बैठक बुलाने के लिए निर्देश देना । 5) आम बैठक या रजिस्ट्रार द्वारा लगाई पाबन्दियों के अनुसार ऋण व्यवस्था करना और सदस्यों को अधिकत्तम ऋण सीमा की स्वीकृति देना । 6) समय-समय पर रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति करना, निलम्बित करना, पदच्युत करना या दंड देना (केन्द्रीय सहकारी बैंक या हैफड द्वारा कोगन कैडर के अधीन नियुक्त किये गये कर्मचारियों के अतिरिक्त) और उन से समय-समय पर रजिस्ट्रार द्वारा निश्चित की गई उचित प्रतिभूतियां लेना । 7) इस बात की देखभाल करना कि ऋणों का प्रयोग उन्हीं स्वीकृत उद्देश्यों हेतु हुआ है जिनके लिये ऋण जारी किये गये थे । 8) किसी कमेटी सदस्य का त्यागपत्र स्वीकार करना या अस्वीकार करना तथा स्वीकृति की अवस्था में उसके स्थान पर आम सभा द्वारा सदस्य चुने जाने तक

	कोई और सदस्य कमेटी में स्थानापत्र करना	कोई और सदस्य कमेटी में स्थानापत्र करना
	9) समिति के अतिरिक्त कोष को अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार व्यवहार में लाना	9) समिति के अतिरिक्त कोष को अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार व्यवहार में लाना
	10) यदि कोई शिकायत हो तो उसको सुनना तथा उस पर कार्यवाही करना ।	10) यदि कोई शिकायत हो तो उसको सुनना तथा उस पर कार्यवाही करना ।
	11) कानूनी कार्यवाही का आचरण करना उसकी पैरवी करना तथा समझौता करना ।	11) कानूनी कार्यवाही का आचरण करना उसकी पैरवी करना तथा समझौता करना ।
	12) किसी सदस्य को किसी ऐसे विषय पर मत देने से रोकना जिसमें उसकी निजी रूचि हो ।	12) किसी सदस्य को किसी ऐसे विषय पर मत देने से रोकना जिसमें उसकी निजी रूचि हो ।
	13) समिति के व्यापार के लिए स्वंय नियम बनाना या समय-समय पर रजिस्ट्रार द्वारा निर्देशित नियमों को अपनाना	13) समिति के व्यापार के लिए स्वंय नियम बनाना या समय-समय पर रजिस्ट्रार द्वारा निर्देशित नियमों को अपनाना
	14) समिति का वार्षिक कार्यक्रम व बजट तैयार करना और उसको आवश्यक कार्यरूप देना ।	14) समिति का वार्षिक कार्यक्रम व बजट तैयार करना और उसको आवश्यक कार्यरूप देना ।
	15) रजिस्ट्रार का केन्द्रीय/शिखर बैंक द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों अनुसार ऋणों की स्वीकृति देना ।	15) रजिस्ट्रार का केन्द्रीय/शिखर बैंक द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों अनुसार ऋणों की स्वीकृति देना ।
	16) कल्याणकारी गतिविधियों के लिए खर्च का अनुमोदन करना बशर्ते की समिति के अपने लाभ में से इस उद्देश्य के लिये कोष बनाया हुआ है ।	16) कल्याणकारी गतिविधियों के लिए खर्च का अनुमोदन करना बशर्ते की समिति के अपने लाभ में से इस उद्देश्य के लिये कोष बनाया हुआ है ।
	17) साधारणत: समिति का व्यापार नियमित रूप से जारी रखना व	17) साधारणत: समिति का व्यापार नियमित रूप से जारी रखना व
	18) उप-नियमों में संशोधन करना और सदस्यों को निकालना ।	18) उप-नियमों में संशोधन करना और सदस्यों को निकालना ।
	19) समिति द्वारा की गई बिक्री का परिवेक्षण (सुपरविजन) करना	19) समिति द्वारा की गई बिक्री का परिवेक्षण (सुपरविजन) करना

41.	प्रबंध कमेटी द्वारा या उसकी ओर से किये गये सभी प्रकार के लेन-देन में कमेटी निश्चित अधिनियम नियमों और उप-नियमों की पालना करेगी ।	प्रबंध कमेटी द्वारा या उसकी ओर से किये गये सभी प्रकार के लेन-देन में कमेटी निश्चित अधिनियम नियमों और उप-नियमों की पालना करेगी ।
42.	प्रबंध कमेटी को अधिकार होगा कि वह समिति का व्यापार फैलाने के लिए हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 9A के अंतर्गत आवश्यकतानुसार उप-नियम बना ले ।	प्रबंध कमेटी को अधिकार होगा कि वह समिति का व्यापार फैलाने के लिए हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 9A के अंतर्गत आवश्यकतानुसार उप-नियम बना ले ।
43.	प्रबंध कमेटी समिति के कार्य को विभिन्न खंडों में विभाजित कर सकती है जैसे कि : ऋण, उपभोक्ता, कृषि यंत्र, दुग्ध इत्यादि और इनमें से प्रत्येक भाग की देखभाल के लिये प्रबंध कमेटी के सदस्यों में से एक उप-समिति बनाई जा सकती है । जिसके सदस्यों की संख्या पांच से अधिक नहीं होगी ।	प्रबंध कमेटी समिति के कार्य को विभिन्न खंडों में विभाजित कर सकती है जैसे कि : ऋण, उपभोक्ता, कृषि यंत्र, दुग्ध इत्यादि और इनमें से प्रत्येक भाग की देखभाल के लिये प्रबंध कमेटी के सदस्यों में से एक उप-समिति बनाई जा सकती है । जिसके सदस्यों की संख्या पांच से अधिक नहीं होगी ।
44.	प्रबंध कमेटी अपने सदस्यों में से उप-समितियों, जिनकी सदस्यों की संख्या पांच से अधिक नहीं होगी, बना सकती है और इन उप समितियों को अपने कुछ अधिकार और कर्त्तव्य सौंप सकती है ।	प्रबंध कमेटी अपने सदस्यों में से उप-समितियों, जिनकी सदस्यों की संख्या पांच से अधिक नहीं होगी, बना सकती है और इन उप समितियों को अपने कुछ अधिकार और कर्त्तव्य सौंप सकती है ।
45.	समिति का कामकाज चलाने में प्रबंध कमेटी के सदस्य आम व्यापारी पुरूषों की तरह ही परिश्रमी तथा दूर-दृष्टि के साथ काम करेंगे तथा वे उस घाटे के लिए उत्तरदायी होंगे जो अधिनियमों, नियमों व उप-नियमों तथा निश्चित उद्देश्यों के विरूद्ध चलने से हुये हों ।	समिति का कामकाज चलाने में प्रबंध कमेटी के सदस्य आम व्यापारी पुरूषों की तरह ही परिश्रमी तथा दूर-दृष्टि के साथ काम करेंगे तथा वे उस घाटे के लिए उत्तरदायी होंगे जो अधिनियमों, नियमों व उप-नियमों तथा निश्चित उद्देश्यों के विरूद्ध चलने से हुये हों ।
46.	समस्त कार्य जिन पर प्रबंध कमेटी में बहस हो या निर्णय लिया गया हो वे कार्यवाही पुस्तक में दर्ज होंगे और उस कार्यवाही पर सभा के प्रधान तथा सभी उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर होंगें ।	समस्त कार्य जिन पर प्रबंध कमेटी में बहस हो या निर्णय लिया गया हो वे कार्यवाही पुस्तक में दर्ज होंगे और उस कार्यवाही पर सभा के प्रधान तथा सभी उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर होंगें ।
47.	प्रबंध कमेटी के सदस्यों की सेवाएं अवैतनिक होंगी परन्तु उनको यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता जो कि प्रबंध कमेटी द्वारा निश्चित और रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकृत हो, दिया जा सकता है ।	प्रबंध कमेटी के सदस्यों की सेवाएं अवैतनिक होंगी परन्तु उनको यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता जो कि प्रबंध कमेटी द्वारा निश्चित और रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकृत हो, दिया जा सकता है ।
48.	क) कोई भी व्यक्ति प्रबंध कमेटी द्वारा तब तक नौकरी पर नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि वह पद रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकृत न हो तथा वह रजिस्ट्रार द्वारा समिति के कर्मचारियों के लिए बनाये गये सेवा नियमों में निर्धारित योग्यताओं को पूरा न करें ।	क) कोई भी व्यक्ति प्रबंध कमेटी द्वारा तब तक नौकरी पर नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि वह पद रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकृत न हो तथा वह रजिस्ट्रार द्वारा समिति के कर्मचारियों के लिए बनाये गये सेवा नियमों में निर्धारित योग्यताओं को पूरा न करें ।

	ख) समिति किसी भी व्यक्ति को तब तक नौकरी पर नियुक्त नहीं कर सकती जब तक कि वह रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से उस से प्रति-भूतियां न ले लें ।	ख) समिति किसी भी व्यक्ति को तब तक नौकरी पर नियुक्त नहीं कर सकती जब तक कि वह रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से उस से प्रति-भूतियां न ले लें ।
49.	नियम 48 क व ख के उल्लंघन स्वरूप की गई नियुक्ति प्रारम्भत: व्यर्थ (VOID AB INITIO) समझी जाएगी जिसके परिणामों के लिये प्रबंध कमेटी उत्तरदायी होगी ।	नियम 48 क व ख के उल्लंघन स्वरूप की गई नियुक्ति प्रारम्भत: व्यर्थ (VOID AB INITIO) समझी जाएगी जिसके परिणामों के लिये प्रबंध कमेटी उत्तरदायी होगी ।
50.	उप-समितियां क) प्रबंध कमेटी निम्नलिखित उपसमितियों में से किसी का अथवा सब का आवश्यकतानुसार गठन करेगी ताकि सौंपी जाने वाली गतिविधियों को व हाथ में ले सकें :- 1. ऋण उपसमिति 2. उपभोक्ता उपसमिति 3. कृषि आवश्यकताओं सम्बंधी उपसमिति 4. पशु पालन उपसमिति 5. ग्रामीण उद्योग उपसमिति 6. बाल महिला व वृद्ध कल्याण उपसमिति 7. नवयुवक कल्याण समिति 8. विपणन एवं खरीद उपसमिति 9. कोई अन्य उपसमिति जिसके निर्देश रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा दिये गये हो अथवा समिति के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक हों । ख) इस प्रकार संगठित उप समितियों में अधिकत्तम पांच व्यक्ति सम्मिलित होंगें इनमें से दो प्रबंध कमेटी के सदस्यों में से लिये जायेगें और शेष तीन प्रबंध कमेटी द्वारा	उप-समितियां क) प्रबंध कमेटी निम्नलिखित उपसमितियों में से किसी का अथवा सब का आवश्यकतानुसार गठन करेगी ताकि सौंपी जाने वाली गतिविधियों को व हाथ में ले सकें :- 1. ऋण उपसमिति 2. उपभोक्ता उपसमिति 3. कृषि आवश्यकताओं सम्बंधी उपसमिति 4. पशु पालन उपसमिति 5. ग्रामीण उद्योग उपसमिति 6. बाल महिला व वृद्ध कल्याण उपसमिति 7. नवयुवक कल्याण समिति 8. विपणन एवं खरीद उपसमिति 9. कोई अन्य उपसमिति जिसके निर्देश रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा दिये गये हो अथवा समिति के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक हों । ख) इस प्रकार संगठित उप समितियों में अधिकत्तम पांच व्यक्ति सम्मिलित होंगें इनमें से दो प्रबंध कमेटी के सदस्यों में से लिये जायेगें और शेष तीन प्रबंध कमेटी द्वारा

	उन समितियों के सदस्य में से नियोजित होंगें, जो उन सेंवाओं का, जिस हेतु उप समिति गठित की गई हो, लाभ उठा रहे हों । उप-समिति अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष निर्वाचित करेगी जो कि इसकी बैठकों की अध्यक्षता करेगा । ग) समिति का प्रबंधक अथवा उसके द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामजद कोई भी अन्य कर्मचारी उप-समिति का पदेन सचिव होगा । घ) इस प्रकार संगठित की गई उप-समिति दो मास में कम से कम एक बार अवश्य अथवा समिति के कार्य को चलाने के लिए आवश्यकतानुसार अधिक बार भी बैठक कर सकती है । ण) उप-समिति उस कार्य व्यापार को जिसके लिये यह गठित की जाए सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसे कर्त्तव्य निभाएगी तथा शक्तियो का प्रयोग करेगी जो कि समय समय पर प्रबंधक कमेटी द्वारा उसे सौंपी गई हो । च) सौंपे गये कार्य को चलाने के लिए उप-समिति के सदस्य एक साधारण व्यापारी पुरूष की बुद्धिमता तथा कर्मठता का प्रयोग करेंगें और अधिनियम, नियम, उप नियम और समिति द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के विरूद्ध किए गए कार्यों के फलस्वरूप होने वाली हानि के लिए उत्तरदायी होंगें ।	उन समितियों के सदस्य में से नियोजित होंगें, जो उन सेंवाओं का, जिस हेतु उप समिति गठित की गई हो, लाभ उठा रहे हों । उप-समिति अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष निर्वाचित करेगी जो कि इसकी बैठकों की अध्यक्षता करेगा । ग) समिति का प्रबंधक अथवा उसके द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामजद कोई भी अन्य कर्मचारी उप-समिति का पदेन सचिव होगा । घ) इस प्रकार संगठित की गई उप-समिति दो मास में कम से कम एक बार अवश्य अथवा समिति के कार्य को चलाने के लिए आवश्यकतानुसार अधिक बार भी बैठक कर सकती है । ण) उप-समिति उस कार्य व्यापार को जिसके लिये यह गठित की जाए सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसे कर्त्तव्य निभाएगी तथा शक्तियो का प्रयोग करेगी जो कि समय समय पर प्रबंधक कमेटी द्वारा उसे सौंपी गई हो । च) सौंपे गये कार्य को चलाने के लिए उप-समिति के सदस्य एक साधारण व्यापारी पुरूष की बुद्धिमता तथा कर्मठता का प्रयोग करेंगें और अधिनियम, नियम, उप नियम और समिति द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के विरूद्ध किए गए कार्यों के फलस्वरूप होने वाली हानि के लिए उत्तरदायी होंगें ।
51.	**प्रबंधक** प्रबंधक की नियुक्ति प्रबंध समिति द्वारा की जाएगी । जब तक नियुक्ति नहीं की जाती है तब तक किसी सहकारी संस्था में से प्रबंधक प्रतिनियुक्ति पर होगा ।	**प्रबंधक** प्रबंधक की नियुक्ति प्रबंध समिति द्वारा की जाएगी । जब तक नियुक्ति नहीं की जाती है तब तक किसी सहकारी संस्था में से प्रबंधक प्रतिनियुक्ति पर होगा ।

52.	प्रबंधक के अधिकार तथा कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगें :-	प्रबंधक के अधिकार तथा कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगें :-
	क) समिति की सम्पतियों और जिम्मेंदारियों का ठीक ठीक हिसाब रखना ।	क) समिति की सम्पतियों और जिम्मेंदारियों का ठीक ठीक हिसाब रखना ।
	ख) सदस्यों के रजिस्टर को शुद्ध तथा तिथि पूर्ण रखना ।	ख) सदस्यों के रजिस्टर को शुद्ध तथा तिथि पूर्ण रखना ।
	ग) नए सदस्यों का चुनाव करना, नए हिस्से जारी करना और पुराने हिस्सों को हस्तांतरित करना ।	ग) नए सदस्यों का चुनाव करना, नए हिस्से जारी करना और पुराने हिस्सों को हस्तांतरित करना ।
	घ) हिस्सों की किस्तों तथा चिरकाल से वांछित किस्तों पर ब्याज की वसूली का प्रबंध करना ।	घ) हिस्सों की किस्तों तथा चिरकाल से वांछित किस्तों पर ब्याज की वसूली का प्रबंध करना ।
	ड़) किसी व्यक्ति को, जो संस्था के रजिस्ट्रों की जांच करने का अधिकारी हो, रजिस्टर देखने में सहायता देना ।	ड़) किसी व्यक्ति को, जो संस्था के रजिस्ट्रों की जांच करने का अधिकारी हो, रजिस्टर देखने में सहायता देना ।
	च) आय तथा व्यय की राशियों तथा समस्त क्रय तथा विक्रय हुये माल का शुद्ध हिसाब रखना ।	च) आय तथा व्यय की राशियों तथा समस्त क्रय तथा विक्रय हुये माल का शुद्ध हिसाब रखना ।
	छ) समिति की किताबों को सुरक्षित रखने का प्रबंध करना ।	छ) समिति की किताबों को सुरक्षित रखने का प्रबंध करना ।
	ज) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में लेन-देन, व्यापार तथा लाभ-हानि के हिसाब का ब्यौरा और पिछले वर्ष की आय-व्यय का विवरण तैयार करना ।	ज) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में लेन-देन, व्यापार तथा लाभ-हानि के हिसाब का ब्यौरा और पिछले वर्ष की आय-व्यय का विवरण तैयार करना ।
	झ) नियत खातों तथा रजिस्टरों को शुद्ध तथा तिथिपूर्ण करना ।	झ) नियत खातों तथा रजिस्टरों को शुद्ध तथा तिथिपूर्ण करना ।
	ण) समस्त रसीदों को वोचरों तथा दस्तावेजों को तैयार करना ।	ण) समस्त रसीदों को वोचरों तथा दस्तावेजों को तैयार करना ।
	त) समिति की ओर से हस्ताक्षर करना तथा पत्र व्यवहार करना ।	त) समिति की ओर से हस्ताक्षर करना तथा पत्र व्यवहार करना ।
	थ) प्रबंध कमेटी व उसकी उप समिति और आम सभा की बैठकें बुलाना और उस में उपस्थित होना ।	थ) प्रबंध कमेटी व उसकी उप समिति और आम सभा की बैठकें बुलाना और उस में उपस्थित होना ।
	द) ऐसी बैठकों की कार्यवाही लिखना और उस पर ठीक ढंग से हस्ताक्षर करवाना	द) ऐसी बैठकों की कार्यवाही लिखना और उस पर ठीक ढंग से हस्ताक्षर करवाना
	ध) कार्यालय के कर्मचारियों के कार्य का निरीक्षण करना ।	ध) कार्यालय के कर्मचारियों के कार्य का निरीक्षण करना ।
	न) समिति की लेन योग्य राशि वसूल करना ।	न) समिति की लेन योग्य राशि वसूल करना ।

57.	समिति की प्रबंध कमेटी, उन ऋणों के लिए जो समय पद न चुकाए गए हों, ब्याज की दंडात्मक (पीनल) दर निर्धारित कर सकती है ।	समिति की प्रबंध कमेटी, उन ऋणों के लिए जो समय पद न चुकाए गए हों, ब्याज की दंडात्मक (पीनल) दर निर्धारित कर सकती है ।
58.	**रजिस्टर** समिति में निम्नलिखित रजिस्टर तथा किताबें रखी जायेंगी :- 1. सदस्यों का रजिस्टर 2. रोकड़ बही 3. प्रत्येक व्यक्ति, अमानतदार, साहूकार तथा आकस्मिक आय-व्यय और किसी वस्तु के क्रय-विक्रय का खाता 4. किश्त बन्दी रजिस्टर 5. कार्यवाही पुस्तक 6. हिस्सों का रजिस्टर 7. जामिनों का रजिस्टर 8. स्टाक रजिस्टर 9. दोहरी प्रति सहित कैश मीमो 10. हिसाब की तसदीक का रजिस्टर 11. सालसी रजिस्टर 12. ऐसे रजिस्टर, जो रजिस्ट्रार नियत करें या जो समिति के कार्य व्यवहार के लिए आवश्यक हो ।	**रजिस्टर** समिति में निम्नलिखित रजिस्टर तथा किताबें रखी जायेंगी :- 1. सदस्यों का रजिस्टर 2. रोकड़ बही 3. प्रत्येक व्यक्ति, अमानतदार, साहूकार तथा आकस्मिक आय-व्यय और किसी वस्तु के क्रय-विक्रय का खाता 4. किश्त बन्दी रजिस्टर 5. कार्यवाही पुस्तक 6. हिस्सों का रजिस्टर 7. जामिनों का रजिस्टर 8. स्टाक रजिस्टर 9. दोहरी प्रति सहित कैश मीमो 10. हिसाब की तसदीक का रजिस्टर 11. सालसी रजिस्टर 12. ऐसे रजिस्टर, जो रजिस्ट्रार नियत करें या जो समिति के कार्य व्यवहार के लिए आवश्यक हो ।
59.	समिति कि किताबों का निरीक्षण करने का अधिकार समिति के सदस्यों को होगा परन्तु किसी व्यक्ति की अमानत का लेखा, उस व्यक्ति की लिखित आज्ञा के बिना नहीं देखा जा सकेगा ।	समिति कि किताबों का निरीक्षण करने का अधिकार समिति के सदस्यों को होगा परन्तु किसी व्यक्ति की अमानत का लेखा, उस व्यक्ति की लिखित आज्ञा के बिना नहीं देखा जा सकेगा ।
60.	उप नियमों तथा बैलेन्स शीट की प्रतियां, किसी सदस्य के मांगने पर समिति को समिति द्वारा निर्धारित फीस (शुल्क) देने पर प्रदान करनी होंगी ।	उप नियमों तथा बैलेन्स शीट की प्रतियां, किसी सदस्य के मांगने पर समिति को समिति द्वारा निर्धारित फीस (शुल्क) देने पर प्रदान करनी होंगी ।

61.	**लाभ का वितरण** समिति के शुद्ध लाभ में से निम्नलिखित कोष स्थापित किए जायेंगें :- 1. आरक्षण कोष कम से कम 10 प्रतिशत की दर से 2. भवन कोष 3. शकिया कर्जा-जात कोष कम से कम 10 प्रतिशत की दर से 4. लाभांश, समीकरण कोष 5. शिक्षा कोष 6. ऐसे दूसरे कोष जो रजिस्ट्रार या केन्द्रीय/शिखर बैंक समय-समय पर निश्चित करें ।	**लाभ का वितरण** समिति के शुद्ध लाभ में से निम्नलिखित कोष स्थापित किए जायेंगें :- 1. आरक्षण कोष कम से कम 10 प्रतिशत की दर से 2. भवन कोष 3. शकिया कर्जा-जात कोष कम से कम 10 प्रतिशत की दर से 4. लाभांश, समीकरण कोष 5. शिक्षा कोष 6. हटा दिया जाए ।
62.	भिन्न-2 कोषों में विभाजित करने के पश्चात बची शुद्ध लाभ की राशि वह भाग, जो समिति की प्रबंध कमेटी उचित समझे, अधिनियम व उसके अधीन बनाए गए नियमों व रजिस्ट्रार से समय-समय पर जारी की गई हिदायतों के अतंर्गत, समिति के सदस्यों में बांटा जा सकता है ।	भिन्न-2 कोषों में विभाजित करने के पश्चात बची शुद्ध लाभ की राशि वह भाग, जो समिति की प्रबंध कमेटी उचित समझे, अधिनियम व उसके अधीन बनाए गए नियमों व रजिस्ट्रार से समय-समय पर जारी की गई हिदायतों के अतंर्गत, समिति के सदस्यों में बांटा जा सकता है ।
63.	प्रबंध कमेटी को ऐसे मामलों पर खर्चा करने का अधिकार होगा जो सहकारी सिद्धान्तों और व्यवहार का ज्ञान देने में लाभाकारी सिद्ध हो । इस उद्देश्य के लिये समिति हर वर्ष रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित की गई दर पर अंकित राशि को हरियाणा राज्य सहकारी विकास फैडरेशन में जमा कराएगी ।	प्रबंध कमेटी को ऐसे मामलों पर खर्चा करने का अधिकार होगा जो सहकारी सिद्धान्तों और व्यवहार का ज्ञान देने में लाभाकारी सिद्ध हो । इस उद्देश्य के लिये समिति हर वर्ष रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित की गई दर पर अंकित राशि को हरियाणा राज्य सहकारी विकास फैडरेशन में जमा कराएगी ।
64.	विविध आरक्षित कोष अविभाजित होगा और इसे केन्द्रीय सहकारी बैंक में सावधि जमा (Fixed Deposit) के तौर पर जमा रखा जाएगा । कोई सदस्य इसमें से कोई विशेष हिस्सा मांगने का अधिकारी नहीं होगा परन्तु विशेष अवस्थाओं में रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति	विविध आरक्षित कोष अविभाजित होगा और इसे केन्द्रीय सहकारी बैंक में सावधि जमा (Fixed Deposit) के तौर पर जमा रखा जाएगा । कोई सदस्य इसमें से कोई विशेष हिस्सा मांगने का अधिकारी नहीं होगा परन्तु विशेष अवस्थाओं में समिति की आमसभा व

	से, यह कोष घाटों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ।	सम्बंधित समिति की प्रबन्धक कमेटी से यह कोष घाटों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ।
65.	इन उपनियमों में संशोधन केवल ऐसे प्रस्ताव के अनुसार हो किया जायेगा जो आमसभा की उस बैठक में स्वीकृत हुआ हो, जिसको बुलाने के लिये इन संशोधनों पर बहस करने सम्बंधी नोटिस दिया हो, परन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव तब तक प्रमाणित नहीं होगा जब तक कि यह उस सभा में बहुमत से पारित न हुआ हो जिसमें समिति के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थिति हों । अत: आदर्श उप-नियम या संशोधन जिन्हें रजिस्ट्रार ने पहले ही स्वीकृति दे दी हो आम सभा के साधारण कोरम के बहुमत से अंगीकार किये जा सकते हैं ।	इन उपनियमों में संशोधन केवल ऐसे प्रस्ताव के अनुसार हो किया जायेगा जो आमसभा की उस बैठक में स्वीकृत हुआ हो, जिसको बुलाने के लिये इन संशोधनों पर बहस करने सम्बंधी नोटिस दिया हो, परन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव तब तक प्रमाणित नहीं होगा जब तक कि यह उस सभा में बहुमत से पारित न हुआ हो जिसमें समिति के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थिति हों । अत: आदर्श उप-नियम या संशोधन जिन्हें रजिस्ट्रार ने पहले ही स्वीकृति दे दी हो आम सभा के साधारण कोरम के बहुमत से अंगीकार किये जा सकते हैं ।
66.	समिति ऐसी आडिट फीस देगी जो समय-समय पर रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित की गई हो ।	यदि समिति का आडिट सहकारी विभाग के आडिटर द्वारा किया जाता है तो समिति ऐसी आडिट फीस देगी जो समय-समय पर रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित की गई हो ।
67.	यदि समिति केन्द्रीय सहकारी बैंक या वित्तीय संस्था की ऋणी हो उस बैंक या संस्था के प्रतिनिधि को समिति की किताबों और रिकार्ड के निरीक्षण का अधिकार होगा और समिति का प्रबंधक ऐसे प्रतिनिधियों के सामने किताबें और रिकार्ड प्रस्तुत करने का प्रबंध करेगा ।	यदि समिति केन्द्रीय सहकारी बैंक या वित्तीय संस्था की ऋणी हो उस बैंक या संस्था के प्रतिनिधि को समिति की किताबों और रिकार्ड के निरीक्षण का अधिकार होगा और समिति का प्रबंधक ऐसे प्रतिनिधियों के सामने किताबें और रिकार्ड प्रस्तुत करने का प्रबंध करेगा ।
68.	समिति या इसको प्रबंध कमेटी द्वारा किसी अवैतनिक कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने से उत्पन्न हुये विवादों के अतिरिक्त कोई ऐसा विवाद, जो समिति के संविधान व कारोबार से सम्बंध रखता हो और इसके सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों या दूसरे व्यक्तियों के बीच जिनका हवाला हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 व उसके अधीन बनाए गए नियमों में दिया गया हो, के बीच उत्पन्न हुआ हो उसका निपटारा अधिनियम तथा नियमों के अनुसार किया जायेगा ।	समिति या इसको प्रबंध कमेटी द्वारा किसी अवैतनिक कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने से उत्पन्न हुये विवादों के अतिरिक्त कोई ऐसा विवाद, जो समिति के संविधान व कारोबार से सम्बंध रखता हो और इसके सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों या दूसरे व्यक्तियों के बीच जिनका हवाला हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 व उसके अधीन बनाए गए नियमों में दिया गया हो, के बीच उत्पन्न हुआ हो उसका निपटारा अधिनियम तथा नियमों के अनुसार किया जायेगा ।

68 क.	समिति की सम्पति संबंधी विवाद का निपटारा यदि दो या इससे अधिक समितियां समायोजित की जाती है, समिति की परिसम्पत्तियों के विभाजन/वितरण अथवा देयता/दायित्व पर किसी भी विवाद का निपटारा रजिस्ट्रार द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा । इस समिति द्वारा दिए गए निर्णय के विरूद्ध पीड़ित सहकारी समिति रजिस्ट्रार को इस निर्णय की तिथि की सूचना के 60 दिन के अन्दर अपील कर सकती है । इस सम्बंध में रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम तथा सभी पक्षों को मान्य होगा ।	समिति की सम्पति संबंधी विवाद का निपटारा यदि दो या इससे अधिक समितियां समायोजित की जाती है, समिति की परिसम्पत्तियों के विभाजन/वितरण अथवा देयता/दायित्व पर किसी भी विवाद का निपटारा रजिस्ट्रार द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा । इस समिति द्वारा दिए गए निर्णय के विरूद्ध पीड़ित सहकारी समिति रजिस्ट्रार को इस निर्णय की तिथि की सूचना के 60 दिन के अन्दर अपील कर सकती है । इस सम्बंध में रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम तथा सभी पक्षों को मान्य होगा ।
69	हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 के सम्बंधित उपबन्धों द्वारा निर्दिष्ट परिस्थितियों में अधिनियम व उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित क्रियावधि के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा समिति को समाप्त व रद्द किया जा सकता है ।	हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 के सम्बंधित उपबन्धों द्वारा निर्दिष्ट परिस्थितियों में अधिनियम व उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित क्रियावधि के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा समिति को समाप्त व रद्द किया जा सकता है ।
70	इन उपनियमों में जब तक कि कोई बात संदर्भ के प्रतिकूल न हो तो यहां रजिस्ट्रार से तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा जो हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 के अधीन रजिस्ट्रार के कार्यभार को सम्भालने के लिए नियुक्त किया गया हो और इसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जो रजिस्ट्रार को उसकी सभी शक्तियां या किसी शक्ति के प्रयोग के लिए सहायक के तौर पर नियुक्त किया गया हो ।	इन उपनियमों में जब तक कि कोई बात संदर्भ के प्रतिकूल न हो तो यहां रजिस्ट्रार से तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा जो हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 के अधीन रजिस्ट्रार के कार्यभार को सम्भालने के लिए नियुक्त किया गया हो और इसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जो रजिस्ट्रार को उसकी सभी शक्तियां या किसी शक्ति के प्रयोग के लिए सहायक के तौर पर नियुक्त किया गया हो ।
71	यदि इन उप-नियमों में से किसी उप-नियम का भावार्थ समझने में कोई सन्देह पैदा हो जाये तो विवाद रजिस्ट्रार को सौंपा जायेगा जिसकी व्याख्या इस विवाद में अन्तिम होगी और सब पक्षों पर बाध्य होगी ।	यदि इन उप-नियमों में से किसी उप-नियम का भावार्थ समझने में कोई सन्देह पैदा हो जाये तो विवाद रजिस्ट्रार को सौंपा जायेगा जिसकी व्याख्या इस विवाद में अन्तिम होगी और सब पक्षों पर बाध्य होगी ।
72	इन उप-नियमों में अधिनियम, नियम व उप-नियम से तात्पर्य हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 व इसके अधीन बनाये हरियाणा सहकारी समितियां नियम 1989 तथा समिति विशेष के उप-नियमों से समझा जाना चाहिये ।	इन उप-नियमों में अधिनियम, नियम व उप-नियम से तात्पर्य हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 व इसके अधीन बनाये हरियाणा सहकारी समितियां नियम 1989 तथा समिति विशेष के उप-नियमों से समझा जाना चाहिये ।